

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- आरसीएच/भण्डार/फोटोस्टेट/2017/ 801


दिनांक :- 30/1/17

फोटो स्टेट की वार्षिक दर संविदा हेतु संशोधित निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 727 दिनांक 18.01.2017 एवं निदेशक जनसम्पर्क सूचना, निदेशालय, विभाग राज0 जपपुर के आर0ओ0 नं0 710 दिनांक 18.01.2017 द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आमंत्रित बोलियों की तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं।

विवरण	पूर्व प्रकाशित तिथियां	संशोधित तिथियां
निविदा प्रपत्र बेचने की तारीख	21.01.2017 से 31.01.2017 तक	01.02.2017 से 14.02.2017 तक
निविदा प्राप्ति की तारीख	01.02.2017	15.02.2017
निविदा खोलने की तारीख	01.02.2017	15.02.2017

शेष शर्तें यथावत रहेगी।



निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- आरसीएच/भण्डार/फोटोस्टेट/2017/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना को विभागीय वैबसाईट एवं राज्य सरकार के sPPP पोर्टल पर डलवाये।


निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-आरसीएच/भण्डार/फोटोस्टेट/2017/ 727


दिनांक :- 18/1/17

फोटो स्टेट की वार्षिक दर संविदा हेतु निविदा सूचना

विभाग में फोटोस्टेट कार्य हेतु एक फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर, पेपर, इंक एवं समस्त रख-रखाव सहित फोटो स्टेट तथा स्पायरल बाइन्डिंग कार्य हेतु अनुभवी फर्मों से सील बन्द दोहरे लिफाफे पद्धति में निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 21.01.2017 से 31.01.2017 तक दोपहर 3.00 बजे तक बेचे जाकर दिनांक 01.02.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक कमरा न0 239 द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र0सं0	मद का नाम	वार्षिक अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	अमानत राशि (राशि रू0 में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू0 में)
1.	फोटो स्टेट कार्य एवं स्पाईरल बाईन्डिंग कार्य	3.00 लाख	6000.00	200.00

निविदा प्रपत्र दिनांक 31.01.2017 तक दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय में निर्धारित "राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर" के नाम जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तें विभागीय वेबसाईट www.rajswashaya.nic.in पर देखी जा सकती हैं।



निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर


क्रमांक :-आरसीएच/भण्डार/फोटोस्टेट/2017/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट एवं राज्य सरकार के sppp पोर्टल पर डलवाये।


निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर



DMOTO STATE RK

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur
Technical Bid

Details of Bidder

To ,
Director Medcial Health (FW)
Raj. Jaipur

Sub – Submission of Tender Documents

Notice No.....

Bid security:- 6,000/-

1.	Name of the Firm		
2.	Telephone No.	(Off.)_____	(Fax.)_____
3.	Mobile No. E mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whether Proprietorship /Partnership/Company		
(a)	In case of Proprietorship Firm		
	Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor.		
(b)	In case of Partnership Firm		
	Name, Father's Name and Residential address of all the partners. _____ _____		
	Note: (Enclose the Registration certificate of Firms or its attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient).		
(c)	In case of Company		


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

(i)	Regd. No. of the Company		
(ii)	Name and address of the Directors of the company (Attach separate sheet if space is insufficient)		
6	BANK DETAILS OF BIDDER Banker's name with branch Account type Account number		
7	PAN No. of the Bidder (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax No. of the bidder, if applicable. (Enclose a certified copy of the same)		
9	Bid security of RS. 6,000/- Deposited vide CR No. _____ dated _____ Pay order No. _____ dated _____ drawn on _____ (Name of Bank & branch)		
	*(To be filled by the Office)		
	Signature of the bidder with seal		
	Name: -----		
	Designation -----		

* Attached Bid Security Bidders Cheque, D.D./Challan of Cash Reciept with Tech. Tender Bid.

*Attach separate sheet for details, where required.

*In case of authorized representative signing this document enclose copy of the authority letter.


 निदेशक (पक.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज., जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

फोटोस्टेट कार्य की दर संविदा एक वर्ष हेतु शर्तें

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि डी.डी/बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे निदेशक (प०क०) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन राजस्थान जयपुर के पत्ते पर दिनांक 01.02.2017 का दोपहर 1.00 बजे तक कमरा नं० 239 में जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद एवं बिना निर्धारित प्रतिभूति राशि/डी.डी/बैंकर चैक के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफो पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनो बन्द लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है रखे जायेगे। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 01.02.2017 को सांय 3.30 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी निविदा खोली जायेगी।

(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदादाता की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे।

निर्देशक (पक.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

5. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
7. निविदा पंजीकृत एकल स्वामित्व, फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अटॉर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृत निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदादाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
10. दरें अनुबंध की तिथी से एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य होगी। निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किये जावेगा। दोनों पक्षों की सहमति से दर अनुबंध 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
11. विभाग द्वारा आदेश देने की तिथि से आदेशित अवधि में फोटोस्टेट कार्य करना होगा।
12. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करे। यदि किसी प्रपत्र की गोपनीयता भंग होती है तो फर्म की निविदा स्वतः ही निरस्त कर दी जायेगी। तथा फर्म के विरुद्ध आरटीपीपी एक्ट 2013 एवं रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
13. फोटो स्टेट कार्य विभाग के निर्देशानुसार विभाग में फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर, कागज, एवं अन्य कन्ज्यूमेबल लगाकर करना होगा। विभाग द्वारा केवल विधुत एवं मशीन रखने की सुविधा प्रदान की जावेगी। शेष लागत समस्त खर्च निविदादाता को स्वयं करने होंगे।
14. फोटो स्टेट कार्य ठीक तरीके से करना होगा। मशीन खराब होने स्थिति में अन्य जगह फोटो कार्य करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। तथा उसका व्यय भी निविदादाता को ही वहन करना होगा। विभाग में स्थापित फोटोस्टेट मशीन की सुरक्षा का दायित्व स्वयं का ही होगा।
15. मशीन खराब होने या अन्य किसी स्थिति के कारण दो दिवस से अधिक समय तक कार्य बन्द होने पर शास्ति के रूप में 400/प्रति दिन की दर से कटौती की जावेगी।

निदेशक (पक.)


कित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

16. फोटो स्टेट कार्य हेतु उपयोग में लिया जाने वाला पेपर उत्तम क्वालिटी में 80 जीएसएम का होना चाहिए। जो स्वयं फर्म के द्वारा ही लगाया जावेगा।

17. **Price fall Clause** :- दर संविदा के अधीन कीमतें कीमत गिरने का खण्ड के अध्यक्षीन होगी। यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दरें संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोट दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवाहार नहीं किया जायेगा।

18. **वारंटी/गारंटी खण्ड** :-निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 12 माह तक की अवधि तक तथा विनिदिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि 12 माह तक की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

19. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कि जानी चाहियें
- I निविदाता के सम्पूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bidder)
 - II. टीन नम्बर, पैन कार्ड व सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र
 - III निविदादाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
 - IV प्रतिभूति राशि का विवरण
 - V Technical undertaking
 - VI Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)
 - VII Annexure-C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)
 - VIII Financial undertaking
 - IX निविदा प्रपत्र


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपूर

20. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

(1) दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। जोकि 6000 है।

(2) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफटरूपविधान में के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से 180 दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

(3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

21. अमानत राशि निदेशक (प0क0), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर के नाम ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक के रूप में जमा करवाई जा सकती है। चालान से रकम लेखा शीर्ष (ख) बिना ब्याज वाली जमा रकम 8443-सिविल जमा, 103- प्रतिभूति जमा में जमा करानी होगी।

22. बोली प्रतिभूति का समपह्त (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपह्त कर दी जायेगी, अर्थात् :-

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।


(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकममें समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

23. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

24. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

25. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
26. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदाकार के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
27. निविदा की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, एवं RTTP ACT-एवं RTTP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।
28. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):—बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –
 (क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण" अंकित हो ; और
 (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिमसमय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।
 (1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।
 (2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
29. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids) :- बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:—
 (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
 (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।
 (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।


 निदेशक (पक.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज., जयपुर

30. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:-
उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

31. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):-

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी -

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

32. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award):- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निदेशक (पक.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

33. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):-** सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :-

- (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

34. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।

- (1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिको समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

35. **करार का निष्पादन (Execution of agreement):-**

(1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में निदेशक (प0क0) को अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

(2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।


(3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर, रु. 500/-मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

36. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):-** उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
जयपुर

- (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

37. हित का विरोध (Conflict of interest):-

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
 - (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश
 |बरहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

38. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

39. अपील का प्रारूप:-

- (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (4) प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा गुप-(2) विभाग होंगे तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग होंगे।

40. अपील फाइल करने के लिए फीस:-


- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

41. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

42. विवाद की स्थिति में निदेशक (प0क0) का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

43. Mode fo Payment :-(I) भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल 3 प्रतियों में भिजवाना होगा तथा बिल पर संख्या मय वैट/Tin No. मुद्रित होना चाहिए।


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपुर

44. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।

निदेशक (प0क0)

निविदादाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व पूर्ण पता मोहर सहित

निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

प्रारूप सं. 1
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसकेविरुद्ध अपील की गयी है औरअधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपिसंलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों केउल्लंघन में उपापन संस्था के किसीविनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससेअपीलार्थी व्यथित है :

4.यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वाराप्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करताहै तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रोंऔर दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :


.....
.....
..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना :

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditios of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the Photo State work at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instuctions issued by the Director Medical & Health (F.W) from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No.Dt.....for Rs./- {.....} drawn on-on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt., Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the prtners or repersentaives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresse of the parthers in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.


Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Address:


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-A


Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted toFor Photo State Workin response to their Notice Inviting Bids No.Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-
Place:-

Signature of the bidder
Name:
Designation:
Address:


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-C

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME.....

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without any deviations whatsoever:


I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartilization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.


I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders Director of Medical & Health (F.W) Jaipur from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within ten (10) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within ten (10) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER

NAME:

ADDRESS:


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर